

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल

विपक्षी : श्री पन्नालाल

किस्म मुकदमा - 212

पत्रावली संख्या : 109/15

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 14.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि इस पत्रावली का मूल वाद सं. 199/15 वाद अनवान उदयलाल बनाम पन्नालाल दिनांक 15.01.2020 को स्वीकार किया जा चुका है। अतः पत्रावली को ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली के अवलोकन से मूल वाद दिनांक 15.01.2020 को स्वीकार किया जा चुका है। अतः मूल वाद स्वीकार होने से इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः उक्त पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

